सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2010-2011

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

9 मार्च 2010

चैत्र कृष्ण ६, विक्रम संवत् २०६६

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. मुझे अपनी इस सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के गत् महीनों में संपन्न हुए चुनावों के परिणाम पुनः यह दर्शाते हैं कि राज्य की जनता हमारी नीतियों एवं कार्यपद्धत्ति से संतुष्ट है। इन परिणामों के बाद हमारी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस अवसर पर, मैं राज्य की जनता का आभार प्रकट करता हूँ और सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमसे जो अपेक्षायें एवं आकांक्षायें की गई हैं उन पर खरा उतरने की हम पूरी चेष्टा करेंगे।

3. गत् महीने केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2010–11 का बजट प्रस्तुत करते हुए, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पुनः 9 प्रतिशत पर लाने, विकास को अधिक समावेशी बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर बल देने, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, शिक्षा के अवसर बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने एवं प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणालियों और संस्थाओं को अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का हमें भरपूर लाभ मिलेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

4. सरकार एवं स्वायत्तशासी निकायों द्वारा प्रदत्त की जा रही जनसेवाओं के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से आज के समय में आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) का अधिकाधिक उपयोग नितांत आवश्यक है। इसलिए प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित कार्ययोजनाएं प्रस्तावित हैंः–

(i) जनता से जुड़े हुए राजकीय विभागों एवं निकायों में शिकायतों, अभाव अभियोगों के पंजीकरण एवं निराकरण हेतु कंप्यूट्राईज्ड सिस्टम लागू किया जाना;

(ii) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वंचितों एवं महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रयास;

(iii) प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार को और प्रभावी ढंग से लागू करवाना तथा विभागीय वेबसाइटों एवं अन्य माध्यमों से सरकार के महत्त्वपूर्ण निर्णयों को सार्वजनिक करना;

(iv) सभी प्रकार के राजकीय भुगतान नकद में नहीं किये जाकर बैंक अथवा डाकघर के खातों के माध्यम से किया जाना;

(v) डिलिवरी ऑफ सर्विसेज़ में नवाचार के लिए 5 करोड़ रुपये का कोष गठित करना;

(vi) राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु एक स्पष्ट नीति बनाना;

http://www.finance.rajasthan.gov.in

(vii) महत्त्वपूर्ण पत्रावलियों एवं विचाराधीन पत्रों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित करना एवं इस सीमा की पालना सुनिश्चित करना;

(viii) **''जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग''** का गठन करना, ताकि लोकसेवकों से संबंधित शिकायतों पर निश्चित समयावधि में कार्रवाई हो सके;

(ix) सतर्कता व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना; एवं

(x) विभिन्न विभागों में समन्वय के माध्यम से डाटाबेस तैयार करना एवं योजनाओं की क्रियान्विति एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।

5. यह संतोष का विषय है कि हमारे देशवासियों पर वैश्विक आर्थिक मंदी से पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गये तीन **stimulus** पैकेजों की वजह से मंदी का प्रभाव धीरे–धीरे कम होता जा रहा है तथा हमारे देश की विकास दर पुनः बढ़ रही है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में भी सुधार दृष्टिगोचर होने लगा है। चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में जहां हमारे स्वयं के कर राजस्व में गत् वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत थी, जो बाद के चार महीनों में बढ़कर 20.5 प्रतिशत हो गई है। इस पृष्ठभूमि में हम आशा करते हैं कि आगामी समय, आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से, हमारे प्रदेश के लिए अधिक अनुकूल होगा।

6. यह हमारे लिए संतोष का विषय रहा है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय भार को वहन करने के बावजूद वर्ष 2009–10 के

http://www.finance.rajasthan.gov.in

संशोधित अनुमानों के अनुसार 18 हजार 561 करोड़ रुपये का योजना व्यय संभावित है, जबकि योजना आयोग द्वारा 17 हजार 322 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की गई थी।

7. माननीय सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य के **resources** का आकलन करते हुए वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों में योजना का आकार 23 हजार 822 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो योजना आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 के अनुमोदित आकार से 37 प्रतिशत अधिक है। राज्य की वर्ष 2010–11 की वार्षिक योजना के संबंध में योजना आयोग से आगामी माह चर्चा होगी।

8. अब मैं आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्ययोजनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा :

सार्वजनिक निर्माण:

9. हमनें महत्त्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखते हुए एक वृहद् योजना बी.ओ.टी., पी.पी.पी., टोल, वी.जी.एफ. एवं सूओमोटो आधार पर तैयार की है। राज्य में सड़कों के विकास में **resources** की कमी नहीं आये, इस उद्देश्य से सड़क विकास निधि में उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुए **RIDCOR** एवं **RSRDC** के माध्यम से अधिकाधिक संस्थागत वित्त जुटाने के प्रयास किये जायेंगे। केन्द्रीय सड़क निधि एवं राज्य सरकार के अन्य मदों से भी सड़कों का विकास किया जायेगा, जिससे लगभग सभी जिले लाभान्वित होंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

10. आगामी वर्ष में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों और योजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित सड़कों के कार्य प्रारंभ किये जायेंगेः—

(i) **RSRDC** द्वारा 1 हजार 350 किलोमीटर की 19 सड़कें जिनकी कुल लागत 2 हजार 100 करोड़ रुपये आयेगी;

(ii) **RIDCOR** द्वारा 263 किलोमीटर की 6 सड़कें जिनकी कुल लागत 750 करोड़ रुपये आयेगी;

(iii) भारत सरकार की **VGF (Viability Gap Funding)** योजना के तहत **राज्य राजमार्गों** के लिए 1 हजार 521 किलोमीटर की 11 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 1 हजार 891 करोड़ रुपये आयेगी;

(iv) भारत सरकार की **VGF** योजना के तहत **BOT** आधार पर 1 हजार 378 किलोमीटर के 11 **राष्ट्रीय राजमार्ग**, जिनकी कुल लागत 3 हजार 445 करोड़ रुपय आयेगी;

(v) **सुओमोटो** योजना के तहत 323 किलोमीटर की 4 सड़कें जिनकी कुल लागत 275 करोड़ रुपये आयेगी; एवं

(vi) **नाबार्ड** के सहयोग से 160 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें, जिनकी कुल लागत 76 करोड़ 75 लाख रुपये आयेगी।

11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक व मरू तथा जनजाति क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के लगभग सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। हमनें अब जनसंख्या

http://www.finance.rajasthan.gov.in

के आधार पर, गाँवों के अतिरिक्त, बसावटों को चिन्हित करते हुए, 5 हजार 187 ढाणी एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिए 3 हजार 354 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये हैं।

12. अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली का संपर्क मार्ग निर्मित करवाया जायेगा। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

ऊर्जाः

13. राज्य के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2010—11 में 12 हजार 434 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय प्रस्तावित है, जो राज्य की वार्षिक योजना का 52 प्रतिशत है।

14. राज्य सरकार प्रदेश को विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य क्षेत्र में थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ की छठी इकाई, कोटा की सातवीं इकाई एवं छबड़ा की पहली इकाई से विद्युत उत्पादन होना प्रारंभ हो गया है। साथ ही छबड़ा की दूसरी इकाई से भी इसी माह में विद्युत उत्पादन होना संभावित है। इस प्रकार राज्य में वर्ष 2009—10 में पारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता में 945 मेगावाट की वृद्धि हो जायेगी।

15. थर्मल पावर स्टेशन कालीसिंध की पहली व दूसरी इकाई एवं छबड़ा की तीसरी और चौथी इकाई पर द्रुतगति से कार्य संपादित किया जा रहा है। रामगढ़ की गैस आधारित दो इकाइयों का कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ

http://www.finance.rajasthan.gov.in

कर दिया जायेगा। इन सभी परियोजनाओं के कार्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूर्ण कर लिये जायेंगे एवं इनके परिणामस्वरूप हमारी उत्पादन क्षमता में 1 हजार 860 मेगावाट की और वृद्धि हो जायेगी।

16. राज्य एवं निजी क्षेत्र में जो परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, उनके फलस्वरूप बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 10 हजार 260 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजित होने की संभावना है। इसमें से 5 हजार 480 मेगावाट की विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य और निजी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं तथा 4 हजार 780 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

17. बॉयोमास आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नई बॉयोमास नीति–2010 जारी कर दी गई है। चालू वर्ष में 28 मेगावाट क्षमता के बॉयोमास आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा आगामी वर्ष में भी 28 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 300 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित करना प्रस्तावित है।

18. सौर ऊर्जा की उपलब्धता की दृष्टि से हमारा राज्य पूरे देश में सबसे अधिक संपन्न है। भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु **''जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन''** बनाया गया है। इस मिशन से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नई **''सौर ऊर्जा नीति''** जारी की जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

19. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2010–11 में 2 हजार 550 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी। राज्य में प्रथम बार 765 के.वी. के 2 **GSS**, अंता तथा फागी में स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर 2 हजार 756 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आगामी वर्ष 33 के.वी. के 320 **GSS** स्थापित करना प्रस्तावित है।

20. भारत सरकार के दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में आगामी वर्ष 20 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

21. चालू वर्ष में 64 हजार आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में लगभग 65 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये जायेंगे। कृषि कनेक्शनों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धत्ति अपनाने पर प्राथमिकता देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

22. राज्य में विद्युत उपभोक्ता सेवाओं में ई–गवर्नेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। विद्युत वितरण कंपनियों के कार्यों को कंप्यूटराईज्ड करने की 529 करोड़ रुपये की 3 वर्षों की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जल संसाधनः

23. जल संसाधन के अंतर्गत चालू योजनाओं को समय पर पूरा करने, नये स्रोतों के विकास, मौजूदा परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जल

http://www.finance.rajasthan.gov.in

प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन गतिविधियों हेतु आयोजना मद में जल संसाधन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 777 करोड़ 58 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

24. आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान झालावाड़ की कालीखर, गुलण्डी तथा पृथ्वीपुरा, उदयपुर की दो नदी एवं बारां की सेमलीफाटक लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की जायेंगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 35 हजार 500 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जायेगा।

25. पंजाब में इंदिरा गांधी नहर के फीडर में जगह–जगह टूट–फूट हो जाने से हमारे हिस्से का काफी पानी व्यर्थ चला जाता है। राज्य सरकार के विशेष आग्रह के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने इस फीडर की मरम्मत हेतु **Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)** के अंतर्गत 952 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है और परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अनुदान देने पर भी सहमति दी है। फीडर की मरम्मत का कार्य संभवतः अप्रेल 2010 से ही प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में स्थित फीडर एवं नहर की मरम्मत हेतु 478 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर केन्द्र सरकार को **AIBP** के अंतर्गत स्वीकृति हेतु भिजवा दी गई है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

26. नर्बदा नहर के निर्माण का कार्य वर्ष 2010 तक पूरा होना था, किंतु अभी तक 58 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूरा हो सका है। शेष निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा।

27. सिद्धमुख नहर से सिंचाई से वंचित गाँवों को साहवा लिफ्ट से जोड़ने के लिए सर्वे करवाया जायेगा।

28. बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना की **upper level canal** के ओवरफ्लो के पानी का सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ रुपये की लागत से सर्वे कार्य करवाये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।

29. नागौर जिले के 10 छोटे कस्बों में स्थित 40 तालाबों का **RSMML** के सहयोग से पुनरुद्धार करने की परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।

30. आबूरोड की पेयजल समस्या के समाधान एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भैंसासिंह लघु सिंचाई परियोजना चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जायेगी। इस पर 18 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

पेयजलः

31. प्रदेश में बढ़ती आबादी, बदलती जीवनशैली, वर्षा की कमी एवं भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप राज्य के 164 ब्लॉक

http://www.finance.rajasthan.gov.in

ओवर एक्सप्लॉईटेड, 34 ब्लॉक क्रिटीकल एवं 8 ब्लॉक सेमी क्रिटीकल श्रेणी में आ गये हैं और केवल 30 ब्लॉक फिलहाल सुरक्षित बचे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। इन परिस्थितियों में हमारे लिए पेयजल उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है।

32. हमनें राज्य के लिए कई वर्षों से लंबित ''**जल नीति**'' तैयार की है। मैं चाहूँगा कि, सभी माननीय सदस्यगण जल नीति को लागू करने के लिए गंभीरता से विचार करें और हमें सुझाव दें। समय आ गया है, जब राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिये कि वह जल के उपभोग को यथासंभव सीमित रखेगा। वर्तमान परिस्थितियों में पेयजल की खपत पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो गया है। पेयजल प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु मैं माननीय सदस्यों से उनके सुझाव आमंत्रित करता हूँ।

33. पेयजल हेतु वर्ष 2010–11 में राज्य योजना मद में 1 हजार 231 करोड़ रुपये एवं **CSS** मद में राज्य बजट के माध्यम से 284 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे 61 कस्बों, अनुसूचित जाति की 900 बस्तियों एवं 2 हजार 627 गाँवों एवं ढाणियों में विभिन्न योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष आपदा राहत निधि से पेयजल हेतु 80 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

34. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे प्रयास से, केंद्र सरकार द्वारा काटी गई 508 करोड़ रुपये की राशि राज्य को पुनः

http://www.finance.rajasthan.gov.in

जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में 1 हजार 100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं।

35. चालू वित्तीय वर्ष में 10 वृहद् परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इनमें बाघेरी का नाका, रामगंजमंडी–पचपहाड़, झालावाड़–झालरापाटन, उदयपुर शहर की वितरण प्रणाली का विस्तार कार्य, उम्मेदसागर धवा–समदड़ी (पार्ट–I एवं II) एवं सूरतगढ़ टीबा क्षेत्र की परियोजनाएं प्रमुख हैं। धौलपुर के डांग क्षेत्र के 82 गाँवों की पेयजल योजना, केरूबेरू जोलियाली ग्रामीण पेयजल योजना, पीपाड़ शहर को इंदिरा गांधी नहर से तथा टोंक शहर को बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य हाल ही में शुरू किये गये हैं। बंदबरेठा से भरतपुर की नई पाइप लाइन का कार्य भी इसी माह शुरू किया जा रहा है एवं चंबल–भरतपुर योजना के ट्रांसमिशन सिस्टम का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर भरतपुर शहर को मीठा पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। अजमेर शहर को बीसलपुर फेज़–द्वितीय से पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी इसी माह पूर्ण कर लिया जायेगा। राजसमन्द जिले के आमेट कस्बे को भी इसी माह बाघेरी का नाका परियोजना से लाभान्वित कर दिया जायेगा।

36. वृहद् परियोजनाओं का लाभ गाँवों तक पहुंचाने के लिए नागौर लिफ्ट फेज–**I**, चंबल–भरतपुर, दूदू–बीसलपुर एवं बाड़मेर लिफ्ट

http://www.finance.rajasthan.gov.in

परियोजनाओं के ''**क्लस्टर वितरण प्रणाली**'' का कार्य भी शीघ्र हाथ में लिया जायेगा। नागौर लिफ़्ट फेज़ द्वितीय परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 2 हजार 218 करोड़ रुपये है, चंबल–भीलवाड़ा परियोजना जिसकी लागत 1 हजार 20 करोड़ रुपये है, के प्रस्ताव विश्व बैंक से ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जोधपुर शहर एवं इसके उपनगरों की पेयजल की भविष्य की आवश्यकताओं हेतु 540 करोड़ रुपये की परियोजना बाह्य सहायता हेतु प्रस्तुत कर दी गई है। आपणी योजना फेज़–**II** के प्रस्ताव भी विश्व बैंक को शीघ्र ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

37. एशियन डवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित 554 करोड़ रुपये की लागत से 15 शहरों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तोड़गढ़, राजसमन्द, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू एवं सीकर में **RUIDP** के माध्यम से पेयजल संवर्धन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 7 शहरों में 245 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं।

38. जलमणी कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी वर्ष में 5 हजार पाठशालाओं में शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु जलशोधन इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

39. बारां जिले की अंता एवं मांगरौल तहसील में स्थित 22 गाँवों का पानी सल्फेट की अधिक मात्रा होने से प्रभावित है। अतः इन गाँवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 12 करोड़ रुपये के लागत की पेयजल परियोजना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

40. सीकर जिले में फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के 283 गाँवों के फ्लोराइडयुक्त पानी के शोधन हेतु 50 लाख रुपये की लागत से सर्वे करवाया जायेगा।

41. उदयपुर की महत्त्वाकांक्षी देवास परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए वर्ष 2010–11 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस परियोजना के महत्त्व को देखते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

42. ''**मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना**'' राज्य में जनवरी 2009 से पुनः प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत समस्त चयनित बी.पी.एल. परिवारों, स्टेट बी.पी.एल. परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवारों तथा एच.आई.वी. एवं एड्स से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनवरी 2009 से अब तक 26 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा 28 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की गई है। अब इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशनरों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 65 करोड़ रुपये ख़र्च होने का अनुमान है।

43. राज्य सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों को रियायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के साथ यह शर्त रखी गई थी कि एक निर्धारित

http://www.finance.rajasthan.gov.in

संख्या के गरीब लोगों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जायेगी। अतः बीपीएल परिवारों को ऐसे निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की शर्त की पालना कठोरता से कराई जायेगी।

44. आगामी वर्ष प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में वृद्धजनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ''**जेरियाट्रिक केन्द्र**'' स्थापित किये जायेंगे एवं लगभग 300 चिकित्साकर्मियों को जेरियाट्रिक केयर हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

45. वर्तमान में संचालित ''**108 एंबूलेंस**'' की संख्या इस वर्ष के अंत तक 314 हो जायेगी। वर्ष 2010–11 में 150 अतिरिक्त एंबूलेंसें 37 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से ख़रीदी जायेंगी।

46. राज्य के 1 हजार 778 उप–स्वास्थ्य केंद्रों के राजकीय भवन नहीं हैं। तीन वर्षों में सभी उप–स्वास्थ्य केंद्रों हेतु भवन निर्मित किये जायेंगे। आगामी वर्ष में 500 उप–स्वास्थ्य केंद्रों हेतु भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 55 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है।

47. राज्य के जनजाति, रेगिस्तानी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 150 ब्लॉक्स में चल–चिकित्सा इकाइयां प्रारंभ की जायेंगी, जिन पर 25 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

48. राज्य के समस्त राजस्व गाँवों में 43 हजार 353 ग्राम स्वास्थ्य समितियां स्थापित की जायेंगी, एवं समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण पर आगामी दो वर्षों में 9 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत आयेगी।

49. जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से आगामी वर्ष में 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रों में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

50. ऐसे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जहां उपलब्ध शय्याओं का शत–प्रतिशत उपयोग हो रहा है वहां शय्याओं की संख्या में वृद्धि की जायेगी। वर्ष 2010–11 में चौमूं, झालरापाटन, देवली, बाड़ी, सादड़ी, अटरू, आबू रोड, भिंडर, नीमकाथाना, रावतसर, डूंगरगढ़, राजगढ़–अलवर, केलवाड़ा, आसिंद, केकड़ी, नोखा, तालेड़ा, आहोर, खण्डार एवं बेगू में एवं जिला चिकित्सालय, अलवर, करौली, बूंदी एवं राजसमन्द, पावटा–जोधपुर एवं दौसा में कुल 750 शय्याओं की बढ़ोतरी करना प्रस्तावित है।

51. पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय जिला चिकित्सालय, नागौर के नवीन भवन निर्माण हेतु वर्ष 2010–11 में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

52. ब्यावर, अलवर, पाली एवं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में बर्न यूनिट की स्थापना की जायेगी। जिला चिकित्सालय, ब्यावर, अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बूंदी, चूरू एवं जैसलमेर में रिहबिलिटेशन सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ब्यावर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर, चूरू, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, नागौर एवं राजसमन्द के जिला चिकित्सालयों में **ICU** स्थापित की जायेंगी।

53. भरतपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालयों में आवश्यक स्टॉफ एवं उपकरण उपलब्ध कराकर ट्रोमा इकाइयां स्थापित की जायेंगी। इसके साथ ही जालौर, राजसमन्द, दौसा एवं ब्यावर में ट्रोमा इकाइयों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा। इससे राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में ट्रोमा इकाइयां उपलब्ध हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, रतनगढ़, सुजानगढ़, लाखेरी, चौमूं, फतेहपुर, सिकंदरा, गोगुन्दा, रावतसर तथा भीम में भी ट्रोमा इकाइयां स्थापित की जायेंगी।

54. आम जनता को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, मौसमी बीमारियों तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने की दृष्टि से विभिन्न केडर्स के चिकित्सकों के 300 पद लीव रिजर्व के सृजित किये जायेंगे। इन पदों के अतिरिक्त आगामी वर्ष के दौरान चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले 161 पदों,

http://www.finance.rajasthan.gov.in

एवं पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग के रिक्त होने वाले लगभग 400 पदों पर नई नियुक्तियां की जायेंगी।

55. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत नर्सों का पारिश्रमिक 4 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये, एएनएम का 3 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये तथा लैब टेकनिशियन का 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 14 हजार 700 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

56. राज्य के 15 जिला अस्पतालों का 25 करोड़ रुपये की लागत से कंप्यूटराईजेशन कराने का महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।

57. चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राजकीय सांवलिया अस्पताल के अंतर्गत जनसहभागिता योजना के माध्यम से ''**जनरल नर्सिंग कॉलेज**'' की स्थापना प्रस्तावित है।

58. डूंगरपुर में स्थित स्व. हरिदेव जोशी राजकीय सामान्य चिकित्सालय को ''ए'' श्रेणी के चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

59. आगामी वर्ष 15 आयुर्वेद, 5 होम्योपैथी तथा 10 यूनानी के नये औषधालय खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6 आयुर्वेद, 2 होम्योपैथी एवं 2 यूनानी औषधालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा।

60. केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आगामी दो वर्षों में आयुर्वेद चिकित्सालयों का 33 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया

http://www.finance.rajasthan.gov.in

जायेगा। वर्ष 2010–11 में राज्य के 3 हजार 838 आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधालयों को 18 करोड़ 75 लाख रुपये की दवाइयां उपलब्ध कराई जायेंगी।

61. यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं एक पृथक ''**यूनानी निदेशालय**'' गठित करने की घोषणा करता हूँ।

चिकित्सा शिक्षा :

62. चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु वर्ष 2010–11 में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी चिकित्सालयों में 1 हजार शय्याओं की वृद्धि करना प्रस्तावित है। इन शय्याओं में से 100 अजमेर में, 100 जोधपुर में, 120 उदयपुर में, 170 कोटा में, 190 जयपुर में एवं 320 बीकानेर में स्थापित की जायेंगी। इन्हीं शय्याओं में से 178 शय्यायें इन चिकित्सालयों की **ICU** में स्थापित की जायेंगी।

63. सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में जटिल रोगों के बेहतर उपचार हेतु सर्जीकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं सर्जीकल ऑन्कोलॉजी इकाइयों की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक इकाई पर लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

64. जे.के. लोन चिकित्सालय जयपुर में गंभीर एवं जटिल शिशु रोगों के उपचार हेतु 14 करोड़ रुपये की लागत से शिशु रोग सुपर स्पेशियलिटी विंग की स्थापना की जायेगी। आगामी वर्ष इसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

65. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में 85 लाख रुपये की लागत से संक्रामक रोग वार्ड की एवं 1 करोड़ रुपये की लागत से शिशु शल्य गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जायेगी। महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर के नवीन आपातकालीन बाह्य रोगी चिकित्सा केंद्र का निर्माण करवाया जायेगा।

66. उदयपुर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में नेत्र रोग विभाग हेतु ''**फेको इमल्सीफिकेशन मशीन**'' क्रय की जायेगी एवं दंत महाविद्यालय, जयपुर में **ICU** की स्थापना की जायेगी।

67. प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों और जिला चिकित्सालयों में आमजन को उचित दरों पर जांच सुविधायें आउटसोरसिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए नीति बनाई जायेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता:

68. राज्य सरकार निःशक्तजनों के कल्याण हेतु कृतसंकल्प है तथा इस हेतु ''**निःशक्तजन नीति**'' बनाई जायेगी, जिससे इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाये जाने के अधिक अवसर सुलभ कराये जा सकेंगे।

69. वर्तमान में 58 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के पुरुष पेंशनर्स को 100 रुपये प्रतिमाह, इसी आयु वर्ग की महिला पेशनर्स को 200 रुपये प्रतिमाह एवं संयुक्त पेंशनर्स को 300 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है। दंपत्ति में से किसी एक की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर

http://www.finance.rajasthan.gov.in

500 रुपये प्रतिमाह एवं दोनों की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर 600 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए पेंशन की दरों में निम्नानुसार बढ़ोतरी करने की मैं घोषणा करता हूँ :–

(i) 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी ;

(ii) 75 वर्ष से कम आयु के पात्र सभी पेंशनर्स को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी ; एवं

(iii) वर्तमान में संयुक्त पेंशन के मामलों में विभिन्न दरों पर पेंशन देय है। दरों में बढ़ोतरी एवं इनका सरलीकरण करते हुए अब पति–पत्नि की आयु 75 वर्ष से अधिक होने पर 1 हजार 500 रुपये एवं 75 वर्ष से कम होने पर 1 हजार रुपये की पेंशन देय होगी।

70. वृद्धावस्था पेंशन के साथ विधवा एवं विकलांग पेंशन की दरें भी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 750 रुपये की जायेंगी। पेंशन दरों के बढ़ने से लगभग 10 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पेंशन की दरों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

71. आगामी वर्ष से सामान्य श्रेणी के निःशक्त विद्यार्थियों को भी उत्तरमैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में फीस का पुनर्भरण किया जायेगा।

72. वर्तमान में संचालित राज्य के एकमात्र मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केंद्र, जयपुर में 230 महिलायें एवं बच्चे

http://www.finance.rajasthan.gov.in

रह रहे हैं, जबकि इस केंद्र की क्षमता 75 की ही है। अतः जयपुर एवं जोधपुर में 250—250 की क्षमता के दो पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जायेगी।

73. भरतपुर संभाग मुख्यालय पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से नारी निकेतन एवं पुनर्वास गृह हेतु भवन निर्माण का कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ किया जायेगा।

74. पालनहार योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग अथवा एड्स पीड़ित माता—पिता के बच्चों को भी 675 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

75. राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु वर्तमान में 721 छात्रावास संचालित हैं, जिनकी क्षमता लगभग 28 हजार है। इस क्षमता को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जायेगा तथा आगामी वर्ष शहरी क्षेत्रों के ऐसे 41 छात्रावासों की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के जिन 33 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां चरणबद्ध रूप से छात्रावास स्थापित किये जायेंगे। इनमें से आगामी वर्ष में जहां अनुसूचितजाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, ऐसे 11 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण करवाया जायेगा।

76. निःशक्त बालक—बालिकाओं हेतु संचालित निजी विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

77. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में 621 राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इन छात्रावासों की मरम्मत हेतु वर्ष 2010–11 में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।

78. वर्तमान में मंडाना, जिला कोटा में भिक्षावृत्ति एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इस विद्यालय की वर्तमान क्षमता 120 से बढ़ाकर 200 की जायेगी।

79. विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों हेतु देवनारायण योजना राज्य में दो वर्षों से चलाई जा रही है। आधारभूत सुविधायें जैसे हॉस्टल, पानी की व्यवस्था, डिस्पेन्सरी आदि में उपलब्ध करवाने की योजना अभी प्रगति पर है। विशेष पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में अब तक अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा न्यायिक आदेशों के कारण नहीं मिल पाई है। न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए अस्थाई रूप से विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल वर्गों को पूर्व की भांति अन्य पिछड़ा वर्ग में ही आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि ये वर्ग आरक्षण की सुविधा से वंचित नहीं रहें। इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ग के युवाओं को हमनें देवनारायण योजना के अंतर्गत विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है, ताकि इनको शिक्षा के क्षेत्र में सुविधायें प्रदान की जा सकें एवं प्रतिस्पर्धा में ठहरने

http://www.finance.rajasthan.gov.in

के लिए सक्षम बनाया जा सके। अतः इस वर्ग के उत्थान के लिए निम्न प्रस्ताव क्रियान्वित किये जायेंगेः–

(i) अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के लिए पोस्ट–मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग, गुर्जर, बंजारा, गाड़ियालुहार एवं रेबारी समुदाय के विद्यार्थियों के लिए भी पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। दसवीं कक्षा के बाद भी उच्च शिक्षा तक इस वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती रहेगी एवं उच्च शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी यह सुविधा जारी रहेगी। इस हेतु 25 करोड़ का प्रावधान आने वाले वर्ष में किया जायेगा ;

(ii) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता के अनुरूप विशेष पिछड़े वर्ग के युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी हेतु, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं के लिए 50 हजार रुपये एवं अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी। मुझे उम्मीद है कि इस योजना का फायदा उठा कर विशेष पिछड़ी जाति के युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु और सक्षम बनाने में मदद मिलेगी;

(iii) जिन क्षेत्रों में विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों का बाहुल्य है, वहां 6 नये **ITI** निर्माणाधीन हैं, एवं 12 छात्रावास स्वीकृत किये जा चुके हैं; एवं

http://www.finance.rajasthan.gov.in

(iv) देवनारायण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 2010–11 में 22 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी की जायेगी।

अल्पसंख्यक कल्याण :

80. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक स्तर को सुधारना आवश्यक है, ताकि वे प्रदेश के विकास में प्रभावी भागीदारी निभा सकें। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत रूप से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की जायेगी। अल्पसंख्यक युवाओं हेतु भारत सरकार ने प्री–मेट्रिक स्कॉलरशिप की नई योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में 17 हजार विद्यार्थी लाभ उठा रहे थे, जो हमारे प्रयासों से बढ़कर अब लगभग 60 हजार हो गये हैं।

81. मदरसा बोर्ड के विद्यालयों में 2 हजार 500 अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्तमान में संचालित कई मदरसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिये गये हैं, अतः आगामी वर्ष में एक हजार शिक्षा सहयोगी और उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त मदरसों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर, दरी व अन्य आवश्यक संसाधनों हेतु 2 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित सहयोगियों को संविदा पर लिया जायेगा।

82. अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जयपुर में एक छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

राज्य में जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या अधिक है ऐसे पांच स्थानों पर **ITI** खोले जायेंगे।

83. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पृथक से '**दस्तकार योजना**' नगरीय विकास विभाग के द्वारा संचालित की जायेगी, ताकि इस वर्ग के लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ कराया जा सके। चालू वर्ष में वक्फ बोर्ड को 45 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है, आगामी वर्ष में 50 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जायेंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की विडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं प्रोपर्टी रजिस्टर संधारित किया जायेगा, ताकि बोर्ड की नियमित आय सुनिश्चित की जा सके।

जनजाति विकासः

84. जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास की '**महाराष्ट्र प्रणाली**' योजना का नामकरण '**जनजाति कल्याण निधि**' करने का निर्णय लिया गया है। आगामी वर्ष इस निधि को बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

85. अनुसूचित जनजातियों के वन–अधिकारों की मान्यता संबंधी अधिनियम की क्रियान्विति के तहत 28 हजार दावे स्वीकृत किये गये हैं तथा अगले तीन महीनों में सभी को पट्टे दे दिये जायेंगे।

86. उदयपुर जिले की कोटड़ा एवं झाडोल पंचायत समितियों के 37 गाँवों में निवास करने वाले कथोड़ी समुदाय के परिवारों के जीवन स्तर

http://www.finance.rajasthan.gov.in

में सुधार लाने के लिए 200 पक्के आवासों का निर्माण नाबार्ड के सहयोग से करवाया जायेगा।

87. आदिवासी कृषक परिवारों की आय में वृद्धि के लिए उद्यानिकी विकास के अंतर्गत लहसुन, अदरक जैसी मसाले की फसलें तथा संकर किस्म की सब्जियों के उत्पादन की योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित, माडा तथा बिखरी आबादी क्षेत्रों के लगभग 38 हजार परिवार लाभान्वित होंगे एवं लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी।

88. जनजाति परिवारों के पशुधन की गुणवत्ता में सुधार एवं इनकी उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से **Manger** (नाँद) निर्मित करवाने, कुट्टी काटने की मशीन एवं दूध संग्रहण कैन उपलब्ध करवाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाने, पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु कैंप लगाने के लिए अनुसूचित, माडा तथा बिखरी आबादी क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।

89. अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति परिवारों के रोजगार की तलाश में पलायन को रोकने हेतु, इन परिवारों के बच्चों को 8 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा आदि सुलभ कराई जायेगी। आगामी वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ रुपये ख़र्च करना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

90. मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अंतर्गत आगामी वर्ष से निम्नानुसार दरें बढ़ाना प्रस्तावित हैः–

(i) खेल छात्रावासों के आवासियों की भोजन सामग्री हेतु दरें 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन;

(ii) आश्रम छात्रावासों के आवासियों हेतु शैक्षणिक भ्रमण की दरें 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये ; एवं

(iii) इसके अतिरिक्त, महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सहरिया छात्रों एवं छात्राओं हेतु वार्षिक सहायता 13 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये।

91. महाविद्यालयों में अध्ययनरत् जनजाति छात्राओं को दी जाने वाली शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि की दर 350 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अब उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् जनजाति छात्राओं को भी 350 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

92. ऐसी छात्रा जिसे दसवीं कक्षा में 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप स्कूटी मिल गई है, उसके बारहवीं कक्षा में भी 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 20 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष में 10 हजार रुपये और तृतीय वर्ष में 10 हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

93. जनजाति युवाओं में विज्ञान विषय के प्रति रुझान पैदा करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र में आगामी वर्ष उदयपुर में एक ''**साईंस पार्क**'' की स्थापना की जायेगी।

94. रोजगार की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के 10 महाविद्यालयों में आगामी वर्ष 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से ''**लिंग्वालैब**'' की स्थापना की जायेगी।

95. सवाईमाधोपुर, अलवर एवं करौली जिले में नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है। इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिसकी कुल लागत 6 करोड़ रुपये आयेगी।

96. वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालय, कुशलगढ़, सीमलवाड़ा, कोटड़ा, आबू रोड़, निवाई, प्रतापगढ़ तथा शाहबाद में आगामी वर्ष विज्ञान संकाय खोले जायेंगे, जिसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

97. सहरिया छात्रों की सुविधा के लिए बारां जिले में 1 करोड़ रुपये की लागत से आश्रम छात्रावास के निर्माण का कार्य आगामी वर्ष प्रारंभ किया जायेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

98. बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली एवं बारां जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकासः

99. सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को गरम भोजन उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 10 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत आयेगी।

100. अपने स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु 10 हजार गैर–अनुदानित महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा, जिस पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

101. पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर महिला थानों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित किये जायेंगे। इन केंद्रों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

वन:

102. गत् वर्ष हमनें ''**हरित राजस्थान**'' योजना प्रारंभ की थी। आम जनता ने इस योजना का स्वागत किया है और निजी स्तर पर भी इस हेतु प्रयास किये गये हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें बढ़–चढ़ कर भाग लिया है। वन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, जलसंसाधन एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों के समन्वय से इस कार्यक्रम को जारी रखा जायेगा। पेड़ लगाने के साथ–साथ पेड़ को जीवित रखना भी हमारा मकसद होना चाहिये। आगामी वर्षों में इस योजना की क्रियान्विति पर विशेष बल दिया जायेगा।

103. वन एव वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सीधी भर्ती द्वारा वनरक्षकों के 1 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

पर्यावरण:

104. वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील हो गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन एवं इससे निपटने के लिए कार्य योजना सुझाने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा **'Tata Energy Research Institute, Pune'** की सेवायें ली जाकर राज्य की कार्य योजना का प्रारूप तैयार करवाया गया है, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा।

105. प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली गैसेज की मात्रा में कमी लाने एवं कार्बन क्रेडिट अर्जित करने को प्रोत्साहित करने हेतु

http://www.finance.rajasthan.gov.in

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधीन एक **''क्लीन डवलपमेंट मेकेनिज्म सेल''** स्थापित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजः

106. तेरहवें केंद्रीय वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं हेतु आगामी पाँच वर्षों के लिए देय अनुदान राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी की है, लेकिन अब अनुदान का एक हिस्सा परफोरमेंस आधारित होगा। वित्त आयोग ने इसके मानदंड निर्धारित किये हैं, जिनके अंतर्गत राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। अतः पंचायती राज संस्थाओं में आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक सुधार किये जायेंगे।

107. **''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना''** के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 25 लाख रुपये एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लाख रुपये की लागत से **''भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र''** स्थापित किये जा रहे हैं। इन सेवा केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

108. नरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत रोजगार सहायक का मानदेय 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 500 रुपये किया जायेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

109. राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान में 26 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र **(RUDSETI)** स्थापित हैं। आगामी वर्ष शेष 7 जिलों, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं प्रतापगढ़ में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान **(RUDSETI)** स्थापित करने का प्रस्ताव है।

110. ''**सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम**'' **(BADP)** के अंतर्गत आगामी वर्ष 93 करोड़ रुपये की लागत के पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित कार्य स्वीकृत करवाये जायेंगे।

111. माननीय सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को पात्रता के अनुसार आबादी पट्टे प्रदान करने के लिए विस्तृत सर्वे करने एवं आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को आबादी पट्टे प्रदान करने की योजना है।

112. राज्य में ''**राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा**'' का गठन पूर्व वर्षों में किया गया था। इस सेवा के 150 विकास अधिकारी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। आगामी वर्ष में भी 74 अतिरिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में ''**राजस्थान ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा**'' का गठन करना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

113. भारत सरकार के सहयोग से मिड–डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत :–

(i) 26 हजार विद्यालयों में 128 करोड़ रुपये की लागत से रसोईघरों का निर्माण कराना प्रस्तावित है ;

(ii) 34 हजार विद्यालयों को भोजन पकाने एवं परोसने के बर्तन उपलब्ध कराये जायेंगे; एवं

(iii) 25 हजार विद्यालयों में भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।

114. राज्य के लगभग 70 हजार विद्यालयों में खाना बनाने के लिए 1 हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर लगभग 1 लाख 40 हजार व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा।

115. आगामी वर्ष में मेवात विकास हेतु प्रावधान को बढ़ाकर 7 करोड़ 50 लाख रुपये, डांग क्षेत्र हेतु 2 करोड़ रुपये एवं मगरा क्षेत्र हेतु 5 करोड़ रुपये किया जायेगा।

116. माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि गाँवों का विकास भी शहरों की भांति सुनियोजित तरीके से होना चाहिये। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गाँवों में भी, भू–उपयोग का विस्तृत प्लान बनाया जाना चाहिये। गाँवों के मास्टर प्लान में विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, राजकीय भवन, सरकारी आवास, खेल के मैदान, डेयरी, व्यावसायिक

http://www.finance.rajasthan.gov.in

गतिविधियों के लिए बाज़ार एवं ग्रीन बैल्ट इत्यादि का प्रावधान होना आवश्यक है, ताकि गाँवों का भविष्य में संतुलित विकास हो सके। इस सोच के साथ राज्य के समस्त गाँवों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर–प्लान बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

कृषि:

117. वर्ष 2009–10 में इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में, विशेषकर टेल क्षेत्र में, नहरी जल के संग्रहण हेतु 8 लाख लीटर क्षमता की 1 हजार डिग्गियां ''**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**'' के अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं। इस योजना में कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा 1 लाख 50 हजार रुपये, जो भी कम हो, किसानों को अनुदान के रूप में दिया गया है। यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है और किसानों द्वारा अधिक डिग्गियों की मांग की गई है। अतः वर्ष 2010–11 में 2 हजार और डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है एवं प्रति डिग्गी अनुदान बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक दिया जायेगा एवं इस पर 40 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

118. गत् वर्ष मैंने राज्य के सात जिलों में ''**मौसम आधारित फसल बीमा योजना**'' लागू करने की घोषणा की थी। योजना की सफल क्रियान्विति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसका विस्तार रबी के समय वर्ष 2009–10 के लिए प्रदेश के अन्य दस जिलों में किया गया। आगामी ख़रीफ वर्ष 2010 से इस योजना को संपूर्ण राज्य में लागू करने की मैं घोषणा करता हूँ। यह योजना ''**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**'' की तुलना

http://www.finance.rajasthan.gov.in

में बीमित कृषकों के लिए अधिक लाभदायक है, क्योंकि काश्तकारों की फसल नष्ट होने पर ख़राबे के अनुपात में उनको मुआवजा मिल सकेगा एवं यह विधि वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई है। संपूर्ण राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 160 करोड़ रुपये के प्रीमियम का वित्तीय भार पड़ेगा। क्षतिपूर्ति की स्थिति में शत–प्रतिशत राशि बीमा कंपनियों द्वारा वहन की जायेगी। इस निर्णय से उम्मीद की जा सकती है कि किसानों द्वारा बीमा योजना को लेकर जो शिकायतें रही हैं, वे समाप्त हो जायेंगी।

119. ख़रीफ 2009 में वर्षा कम होने के कारण राज्य सरकार द्वारा 27 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इन सूखाग्रस्त जिलों के लघु एवं सीमांत कृषकों को 2 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इनपुट सब्सिडि के पेटे 797 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। राज्य सरकार ने अब तक इस पेटे 453 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया है तथा और मांग आने पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध करादी जायेगी। इसके अतिरिक्त किसानों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के पेटे राज्यांश के रूप में 219 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराये गये हैं।

120. अकाल की स्थिति देखते हुए रबी के दौरान वर्ष 2009–10 में राज्य में लगभग 9 लाख 2 हजार चारा मिनि किट्स का निःशुल्क वितरण

http://www.finance.rajasthan.gov.in

किया गया। इन मिनि किट्स से लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में चारे की बुवाई की गई, जिससे पशुओं के लिए लगभग 60 लाख मैट्रिक टन हरा चारा उपलब्ध होने का अनुमान है। रबी के पश्चात् जायद में 2 लाख 80 हजार चारा मिनि किट्स के और वितरण की योजना है। यह मिनि किट्स उन किसानों को आवंटित किये जायेंगे, जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, ताकि ग्रीष्मकाल में दुधारू पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके।

121. उदयपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के जनजाति क्षेत्रों में मक्का की उत्पादकता तथा कृषकों की आय में वृद्धि के लिए ख़रीफ एवं रबी के दौरान **''प्रोजेक्ट गोल्डन रेज़''** के अंतर्गत मक्का के हाइब्रिड बीजों का वितरण किया गया, जिससे कम वर्षा के बावजूद उत्पादकता में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई। परियोजना के सफल परिणामों को देखते हुए ख़रीफ 2010 में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलों के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी कृषकों के खेतों पर यह कार्यक्रम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के लिए 3 हजार 500 मैट्रिक टन मक्का के हाइब्रिड बीजों का वितरण किया जायेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2010–11 में 35 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

सहकारिताः

122. राज्य सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन ऋणों की सुविधा दी जाये। चालू वर्ष में 16 लाख किसानों को

http://www.finance.rajasthan.gov.in

3 हजार 230 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया है। अधिक संख्या में किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों को वर्ष 2010–11 में 30 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके फलस्वरूप आगामी वित्तीय वर्ष में 16 लाख की बजाय 21 लाख किसानों को कुल 5 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण देना संभव हो सकेगा।

123. सहकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सहकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार से इस हेतु 241 करोड़ रुपये की राशि सहकारी बैंकों को प्राप्त हो गई है। पूर्व सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप आवश्यक संशोधन नहीं किये गये, इसलिए सहकारी संस्थाओं को भारत सरकार से सहायता नहीं मिल सकी। अब इन संस्थाओं को लगभग 500 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिसमें से 15 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होगा।

124. वर्तमान में जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण, खाद–बीज एवं उर्वरकों के वितरण और उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केवल 276 **LAMPS** हैं, जो अपर्याप्त हैं। अतः हमनें आगामी वर्ष में 100 नई **LAMPS** खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

125. सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए **NCDC** के सहयोग से राज्य के शेष 11 जिलों, जयपुर, उदयपुर, राजसमन्द, श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, धौलपुर एवं प्रतापगढ़ में आगामी वर्ष **''समग्र सहकारी विकास योजना''** का संचालन किया जायेगा, जिसके लिए राज्य मद से 2 करोड़ 20 लाख रुपये एवं **NCDC** से 33 करोड़ 60 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

126. किसानों को समय पर **DAP** उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष हमनें राजफैड के माध्यम से 2 लाख 60 हजार मैट्रिक टन **DAP** का अग्रिम भंडारण किया था, ताकि काश्तकारों को यह समय पर उपलब्ध कराया जा सके। आगामी वर्ष राजफैड के माध्यम से 3 लाख मैट्रिक टन **DAP** तथा 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण किया जायेगा और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इसके वितरण की व्यवस्था की जायेगी।

127. प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर क्रय–विक्रय सहकारी समिति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष 40 नई क्रय–विक्रय सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा जिस हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

128. ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए इनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माईक्रो फाईनेंस की अहम भूमिका है। आगामी वर्ष सहकारी संस्थाओं के माध्यम से

http://www.finance.rajasthan.gov.in

स्वयंसहायता समूहों को, जिनमें महिला स्वयंसहायता समूह भी शामिल हैं, 100 करोड़ रुपये के ऋणों के वितरण का लक्ष्य है।

पशुपालनः

129. पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं पशुपालन की योजनाओं का पर्याप्त लाभ पशुपालकों को दिलवाने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित 1 हजार 862 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जायेगा। वर्ष 2010—11 में 285 उपकेंद्रों को पशु औषधालयों में, 100 उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में एवं 71 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 100 नवीन पशु चिकित्सा उप—केंद्रों की स्थापना की जायेगी।

130. आगामी वर्ष में 100 पशु चिकित्सकों तथा 225 पशुधन सहायकों की नवीन नियुक्ति की जायेगी। विभागीय सेवाओं से वंचित पंचायतों में, बेरोजगार पशु—चिकित्सकों अथवा पशुधन सहायकों को 6 हजार रुपये के उपकरण अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि वे इन स्थानों पर अपने स्वयं के पशु—धन सेवा केंद्र संचालित कर सकें।

131. राज्य में वर्तमान में लगभग 24 हजार 500 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है। राज्य में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षित तथा योग्य तकनीकी मानव संसाधन की कमी है। राज्य में जलकृषि एवं मत्स्यकी उद्योग को विकसित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से कृषि विश्वविद्यालय,

http://www.finance.rajasthan.gov.in

उदयपुर के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये की लागत से एक **Fisheries College** स्थापित किया जायेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

132. वर्तमान में महंगाई की समस्या से हम सभी चिंतित हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने भी गत महीनों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार महंगाई पर नियंत्रण हेतु अनेक कदम उठा रही हैं, जिसके परिणाम भी आने लगे हैं। इस क्रम में हमनें राज्य के प्रमुख शहरों में रियायती दरों पर आटा, दाल और गेहूँ के वितरण का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो कदम उठाये गये हैं, उनमें चीनी व दालों के व्यापार में लाइसेंस व्यवस्था लागू करना, स्टॉक सीमा तथा टर्नओवर सीमा निर्धारित करना शामिल है। राज्य सरकार भविष्य में भी ज़माखोरी व कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से चलाया जा रहा **''शुद्ध के लिए युद्ध''** अभियान भी प्रभावशाली रहा है। इस अभियान के अंतर्गत किये गये निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 100 अनुज्ञापत्र निरस्त किये गये, 338 अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये एवं 51 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई। इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 2 हजार 400 से अधिक प्रकरण दर्ज किये गये तथा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

133. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखने के लिए प्रत्येक जिले में एक मोबाईल टेस्टिंग लैब स्थापित की जायेगी।

134. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने ''**राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम**'' की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह निगम भारतीय खाद्य निगम एवं चीनी मिलों आदि से सामग्री का निर्धारित समय में उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों को बिना किसी विलंब के सामग्री की आपूर्ति का कार्य करेगा। इस निगम की पूंजी हेतु 50 करोड़ रुपये का अंशदान देना प्रस्तावित है।

135. लंबे समय से चली आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए थोक विक्रेताओं का कार्य कर रही संस्थाओं की कमीशन दर 5 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही खुदरा विक्रेताओं के कमीशन की वर्तमान दर को 8 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति क्विंटल किया जायेगा।

136. अब भविष्य में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण, सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में, प्रत्येक माह की दिनांक 15 से 21 की अवधि में करने हेतु पाबंद किया जायेगा, ताकि वितरण पर समुचित निगरानी रखी जा सके।

137. अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आगामी 1 मई 2010 से बी.पी.एल. परिवारों को 4 रुपये 70 पैसे प्रति किलो की

http://www.finance.rajasthan.gov.in

बजाय 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार लगभग 170 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। बीपीएल परिवारों को वास्तविक रूप से इस योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कूपन व्यवस्था लागू की जायेगी।

138. उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य उपभोक्ता मंच की सर्किट बैंचों की स्थापना प्रथम चरण में कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में प्रस्तावित है, जो राज्य के इन संभागीय मुख्यालयों में लंबित प्रकरणों का निपटारा करेंगी।

श्रम एवं रोजगार :

139. प्रदेश में, विशेषतः शहरी क्षेत्रों में कार्यरत **domestic servants**, जिनमें अधिकांश महिलायें होती हैं, की सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्तमान में कोई कानून नहीं है। अतः इस श्रेणी के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु **'Domestic Workers Security Act'** बनाना प्रस्तावित करता हूँ।

140. केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक संभाग में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान **(ITI)** का चयन कर, इनको **'Centers of Excellence'** के रूप में विकसित किया जायेगा।

141. राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान **(ITI)** की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

अतः चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी 48 पंचायत समितियों में जहां वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, वहां निजी सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को बढ़ावा देने का निश्चय किया है।

शिक्षा :

142. ''**राईट टू एजूकेशन एक्ट**'' के लागू होने से हमारे शैक्षणिक परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब यह आवश्यक है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। अतः हमनें निर्णय लिया है कि, आगामी वर्ष में विद्यालयों को सिर्फ क्रमोन्नत करने के बजाय, प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायें, जिससे हमारे विद्यालयों में शिक्षा का अच्छा वातावरण सृजित हो सके। इसके लिए शिक्षा के प्रशासन तंत्र को मजबूत करते हुए प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी। इस कड़ी में निम्न कदम उठाये जायेंगेः–

(i) वर्ष 2010–11 में 1 हजार अतिरिक्त क्लास रूम्स का निर्माण कराया जायेगा, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत आयेगी;

(ii) कक्षा 9 से 12 में एन.सी.ई.आर.टी. के ''**नेशनल करीक्यूलम फ्रेमवर्क**'' के अनुसार अध्यापन करवाया जायेगा। राजस्थान राज्य से संबंधित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त पुस्तक भी शामिल की जायेगी;

http://www.finance.rajasthan.gov.in

(iii) राज्य में संचालित 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में से 74 को माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिस पर 31 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे;

(iv) उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अंग्रेजी विषय के 300 व्याख्याताओं के पदों का सृजन किया जायेगा;

(v) **Computer Aided Learning Programme (CALP)** के अंतर्गत 2 हजार 500 अतिरिक्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार किया जायेगा;

(vi) मूक बधिर एवं दृष्टिहीन छात्रों हेतु संचालित निजी विद्यालयों के क्रमोन्नयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा एवं इनके लिए संचालित दो राजकीय एवं छः अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत् दृष्टिबाधित छात्रों को एक विशेष सॉफ्टवेयर की सहायता से अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी;

(vii) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं निःशक्त बालिकाओं को, बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षाओं में, प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर, क्रमशः 25 हजार रुपये, 40 हजार रुपये एवं 50 हजार रुपये का **''इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार''** प्रदान किया जायेगा; एवं

http://www.finance.rajasthan.gov.in

(viii) राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा एवं शिक्षा पर होने वाला संपूर्ण व्यय ''**बालिका शिक्षा फाउंडेशन**'' द्वारा वहन किया जायेगा।

143. राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को समय पर वेतन चुकारा नहीं होने की शिकायतें प्रायः आती रहती हैं। दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण अंचल के राजकीय विद्यालयों में काफी समय से पद रिक्त हैं। अतः मैं घोषणा करता हूँ कि अनुदानित शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु विकल्प दिया जायेगा। इस हेतु एक अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है, जिससे इन शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें पृथक से निर्धारित हो सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों को लगभग 9 हजार शिक्षक एवं कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे और ग्रामीण अंचल के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने में सहायता मिल सकेगी।

144. स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में 18 वर्ष तक के सभी छात्रों को लाने के लिए चाईल्ड ट्रेकिंग योजना क्रियान्वित की जायेगी, जिससे ड्राप आऊट एवं स्कूल से वंचित छात्रों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

युवा मामले एवं खेलः

145. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओलंपिक, एशियाड एवं राष्ट्रकुल खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के 12 खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त हमनें यह भी निर्णय लिया है कि ओलंपिक, एशियाड एवं राष्टकुल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 25 बीघा तक कमाण्ड भूमि आरक्षित मूल्यों पर आवंटित की जाये।

146. राज्य की मूल निवासी सभी महिला खिलाड़ियों को **National Institute of Sports, Patiala** से डिप्लोमा करने के लिए 1 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से राज्य सरकार द्वारा **stipend** दिया जायेगा।

147. आगामी वर्ष, अजमेर के हॉकी प्ले ग्राउन्ड में एस्ट्रोटर्फ लगाने का कार्य पूर्ण करवाया जायेगा, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपये आयेगी।

148. कॉमनवेल्थ गेम्स–2010 की **'क्वींस बैटन रिले'** राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरेगी। इससे संबंधित व्यवस्थाओं हेतु 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स में राज्य के जिन

http://www.finance.rajasthan.gov.in

संभावित प्रतिभागियों को शामिल किया जा सकता है, को विशेष प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार प्रत्येक प्रतिभागी के लिए 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायेगी, जिससे इन खिलाड़ियों के खाने–पीने, प्रशिक्षण के खर्चे के साथ–साथ खेल उपकरणों की भी व्यवस्था की जा सके।

149. राज्य के 13 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं हेतु डे–बोर्डिंग कोचिंग स्कीम के अंतर्गत राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के प्रशिक्षकों द्वारा भरतपुर में कुश्ती, सीकर में बास्केटबॉल, चूरू में वॉलीबॉल, झुंझुनू में एथेलेटिक्स, जयपुर में कबड्डी एवं उदयपुर में तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं को 500 रुपये प्रतिमाह **Stipend** दिया जायेगा तथा स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध कराया जायेगा।

150. खेल विभाग को आगामी वर्ष **Untied Fund** के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी जिसको खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर ख़र्च किया जा सकेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

151. राज्य में बायोटेक्नोलोजी की विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एवं उपलब्ध संसाधनों के समुचित दोहन के उद्देश्य से संशोधित बायोटेक्नोलोजी पॉलिसी–2010 तैयार की जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

152. प्रदेश में आम जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार–प्रसार एवं विज्ञान को लोकप्रिय करने के उद्देश्य से जोधपुर में 2 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से **''उप–क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र''** स्थापित किया जायेगा।

153. प्रदेश में वैज्ञानिक क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्ष राज्य की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान करने के लिए 30 परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 300 विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट्स हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। शोध एवं विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट्स हेतु राज्य सरकार 1 करोड़ 80 लाख रुपये उपलब्ध करायेगी।

154. **ISRO** के सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में 300 स्वचालित वैदर स्टेशनों की स्थापना की जायेगी, जिन पर लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी। इन वैदर स्टेशनों की सूचना का उपयोग फसल बीमा हेतु भी किया जा सकेगा।

155. राज्य सरकार ने **ISRO** के साथ एक सहमति पत्र निष्पादित किया है, जिसके अंतर्गत **ISRO** द्वारा जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ग्राम सेट, एजू सेट एवं टेलीमेडिसन प्रोजेक्ट्स का संधारण किया जायेगा और जल संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु

http://www.finance.rajasthan.gov.in

तकनीकी सहयोग भी दिया जायेगा, जिसकी कुल लागत लगभग 13 करोड़ रुपये है। **ISRO** के योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने जोधपुर स्थित **ISRO** के रिमोट सेंसिंग सेंटर के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन किया है।

उच्च शिक्षा :

156. राज्य के उपखंड मुख्यालय पर स्थापित सभी महाविद्यालयों में वाणिज्य एंव विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की योजना है, जिसके क्रम में आगामी वर्ष में 13 उपखंडों में विज्ञान संकाय तथा 6 उपखंडों में वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जायेंगे। इस पर 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा।

157. आगामी वर्ष राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक के 10 एवं स्नातकोत्तर के भी 10 नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे, जिन पर 1 करोड़ रुपये का ख़र्चा होगा।

158. राज्य के 8 राजकीय विधि महाविद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं नवीन पदों का सृजन किया जायेगा, जिस पर 7 करोड़ 73 लाख रुपये का भार आयेगा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में राजकीय महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए नये उपकरण क्रय करने हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

159. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में छात्र संख्या 4 हजार से अधिक होने से इस महाविद्यालय को विभक्त कर एक अलग राजकीय कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

160. वर्तमान में संचालित राजकीय स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं राजकीय संगीत संस्थान के भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए इसे जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जायेगा एवं इन संस्थाओं के लिए नये भवनों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा।

161. विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं इनके पुनरुद्धार हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, तथा इतनी ही राशि राजकीय महाविद्यालय विकास समिति कोष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

162. महाविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत संचालित अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को, अनुदानित स्कूल शिक्षा की भांति ही ग्रामीण राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने का विकल्प दिया जायेगा।

163. जैसलमेर में स्थित महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा :

164. केंद्र सरकार की स्किल मिशन स्कीम के अंतर्गत राज्य के नागौर, जालौर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली, टोंक एवं बांसवाड़ा जिलों में नये पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित 7 राजकीय पॉलिटेक्निक

http://www.finance.rajasthan.gov.in

महाविद्यालयों में इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तथा मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित आधार पर प्रारंभ किये जायेंगे।

165. राज्य में, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं झालावाड़ जिले में संचालित 7 राजकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

166. राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों तथा अभियांत्रिकी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए **AICTE** के वेतनमान लागू किये जायेंगे।

167. राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर की छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी (IT) :

168. शासन सचिवालय की समस्त गतिविधियों के कंप्यूटराईजेशन की एक महत्त्वाकांक्षी योजना '**ई–सचिवालय**' की क्रियान्विति प्रारंभ की जायेगी।

169. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा तैयार की गई '**ई–संचार**' प्रणाली, पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में, जयपुर जिले में लागू की जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

उद्योगः

170. राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास हेतु नई औद्योगिक एवं निवेश नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आशा की जाती है कि इस नई नीति के माध्यम से राजस्थान में उद्योग व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। राज्य में आधारभूत ढाँचे को विकसित करने के लिए एवं निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक **'Rajasthan Infrastructure Development Act'** लाया जायेगा। इन कार्यों हेतु राज्य सरकार आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेगी।

171. सीतापुरा, जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध 42 एकड़ के भूखण्ड को उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति मैदान नई दिल्ली की तर्ज पर निजी सहभागिता से विकसित किया जायेगा।

172. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, राज्य सरकार का वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ उपक्रम है। इस निगम की 10 प्रतिशत अंश पूंजी का विनिवेश करना प्रस्तावित है, जिससे राज्य सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

173. केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली व मुंबई के बीच ''**बहुउद्देशीय फ्रेट कॉरीडोर**'' के विकास की एक महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इस योजना के साथ ही ''**दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर**'' की परियोजना भी बनाई गई है, जिसका लगभग 40 प्रतिशत भाग राज्य में से गुजरता है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

174. हस्तशिल्पियों,दस्तकारों एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए ‘**स्वावलंबन योजना**’ प्रारंभ की जायेगी। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण पर 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जायेगा। आगामी वर्ष योजना के क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है तथा लगभग 3 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

175. करौली जिला, पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। जिले में रोजगार के साधन विकसित करने की दृष्टि से मासलपुर कस्बे में ‘‘**स्टोन मार्ट**’’ स्थापित करना प्रस्तावित है।

खनिज एवं पेट्रोलियमः

176. राज्य में कच्चे तेल के उत्पादन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अगस्त 2009 में बाड़मेर के मंगला क्षेत्र में हुआ। राज्य में रिफाईनरी की स्थापना हेतु वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने सभी संबंधित संस्थाओं से विचार–विमर्श किया है तथा बाड़मेर का दौरा भी किया है। मैं स्वयं इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी के निरंतर संपर्क में हूँ। राज्य में रिफाईनरी की स्थापना, हमारी प्राथमिकताओं में है और इस हेतु हम प्रयत्नशील हैं।

177. राज्य में कोल बेड मिथेन के दोहन की विपुल संभावना है। बीकानेर जिले में इस दृष्टि से **R&D Project** प्रारंभ किया जायेगा,

http://www.finance.rajasthan.gov.in

जिसके सफल होने पर हमें सस्ते दामों पर गैस उपलब्ध हो सकेगी। आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के लगभग 300 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में पेट्रोलियम, गैस तथा कोल बेड मिथेन के 30 नये कुए खोदे जायेंगे।

178. **''राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन''** को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसका बिजनॅस प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत ऑइल रिफाईनिंग, पाइप लाइन ट्रांसपोर्ट, गैस रिटेलिंग, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑइल एक्सप्लोरेशन तथा ऑइल फील्ड सपोर्ट सर्विसेज को शामिल किया गया है। इस कॉरपोरेशन को और सशक्त बनाने के लिए **RSMML** द्वारा इसमें 25 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जायेगा।

179. राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर जिलों में सोना, मैंगनीज आदि अनेकों बहुमूल्य खनिज उपलब्ध हैं। इन जिलों में टीएसपी क्षेत्रों में मेजर मिनरल्स की खोज व खनन का कार्य केवल **RSMML** द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु **RSMML** संयुक्त उपक्रम भी बना सकेगा, जिसमें **RSMML** की हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत होगी। खनन से होने वाले लाभ का 20 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रों के विकास पर ख़र्च होगा तथा कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय निवासियों को रोजगार देना आवश्यक होगा।

180. उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन एवं प्रदूषण को लेकर लगातार चिंता प्रकट की जा रही है। अतः हमनें तय

http://www.finance.rajasthan.gov.in

किया है कि राज्य में खनिजों का अवैध खनन तथा परिवहन रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक सर्वेलेंस उपकरण लगाये जायेंगे। इसके साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन करते हुए, अवैध खनन एवं परिवहन में काम आने वाले उपकरणों एवं वाहनों को जब्त किया जायेगा। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए, वैध खनन को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जायेगा, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित किया जा सके।

परिवहनः

181. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में जान गवाने वालों और घायलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे माननीय सदस्यगणों सहित पूरा प्रदेश अत्यंत व्यथित है। मेरा मानना है कि राज्य सरकार को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। गत् वर्ष की बजट घोषणा के अनुसरण में, राज्य में, ''**रोड सेफ्टी काउंसिल**'' का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। समिति द्वारा तीन माह में प्रस्तावित कार्ययोजना राज्य सरकार को सौंपी जायेगी, जिस पर विचार कर सरकार आवश्यक कदम उठायेगी।

182. वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग को 60 जीपें, 10 इंटर–सैप्टर एवं

http://www.finance.rajasthan.gov.in

33 ब्रेथ एनेलाईजर्स उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि वाहन चालकों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके।

183. प्रायः यह देखा गया है कि अधिकतर सड़क दुर्घटनायें वाहन चालक के अकुशल होने एवं लापरवाही अथवा गलती के कारण घटित होती हैं। इनको रोकने के लिए कुशल चालक तैयार करना आवश्यक है। अतः चालक की चालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए छः जिला परिवहन कार्यालयों में, जहां ड्राईविंग ट्रेक्स नहीं हैं, इनका निर्माण करवाया जायेगा। जयपुर में ड्राईविंग लाइसेंस के आवेदकों की अधिक संख्या देखते हुए एक अतिरिक्त ड्राईविंग ट्रेक का निर्माण कराया जायेगा। ड्राईविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया को अधिक वस्तुपरक व पारदर्शी बनाने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर सिमुलेटर्स स्थापित किये जायेंगे। वाहन एवं वाहन चालकों दोनों की नियमित फिटनेस की जांच भी सुनिश्चित की जायेगी।

184. अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में राज्य के पदक विजेताओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। निःशक्तजनों की सभी सात श्रेणियों, अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, कम श्रवण शक्ति, चलन निःशक्ता, मानसिक मंदता एवं मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्तियों को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूँ। अंधता, मानसिक मंदता एवं मानसिक रुग्णता से प्रभावित निःशक्त व्यक्तियों के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति को भी रियायती दरों

http://www.finance.rajasthan.gov.in

पर यात्रा करने की सुविधा होगी। निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा के पेटे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष 20 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

185. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रतापगढ़, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, करौली एवं राजसमन्द में नये डिपो स्थापित किये जायेंगे।

स्थानीय निकाय एवं शहरी विकासः

186. सभी शहरों एवं नगरों के एकीकृत, संतुलित एवं नियोजित विकास हेतु ''**राज्य शहरीकरण आयोग**'' का गठन किया जायेगा। यह आयोग शहरीकरण से जुड़े हुए सभी विषयों का विस्तृत अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, ताकि आम आदमी के जीवनस्तर में सुधार हेतु दीर्घकालीन योजना बनाई जा सके।

187. जयपुर के लिए नये बिल्डिंग रेगुलेशन्स बनाये गये हैं, जिसमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसाईक्लिंग एवं सोलर एनर्जी आदि के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था है। बिल्डिंग रेगुलेशन्स में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की बाध्यता भी की गई है। इसके अनुरूप प्रदेश के सभी शहरों के लिए मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशन्स बनाये जाकर जारी किये जायेंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

188. जयपुर में आई.टी. टावर्स, निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से विकसित करने की योजना है। शहर की 160 फीट या इससे अधिक चौड़ाई की सड़क पर, 10 हजार वर्गमीटर वाले भूखण्ड पर आई.टी. टावर विकसित किये जा सकेंगे। प्रथम दो आई.टी. टावर बनाने के लिए फ्लोर एरिया रेशो की पांबदी नहीं होगी एवं भू–रूपांतरण निःशुल्क किया जायेगा। इनका उपयोग आई.टी. एवं आई.टी. से संबंधित परियोजनाओं, प्रशिक्षण केंद्रों एवं विक्रय केंद्रों हेतु किया जा सकेगा।

189. गत् बजट प्रस्तुत करते समय मैंने जयपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लागू करने का उल्लेख किया था। इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा **''जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन''** का गठन भी कर दिया गया है। राज्य सरकार के अंशदान के पेटे आगामी वर्ष में 179 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार के सहयोग से यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित होगी।

190. नगरीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के लिए 400 करोड़ रुपये के **''राजस्थान अरबॅन डवलपमेंट फण्ड''** की स्थापना की गई है। इस फण्ड में राज्य सरकार 150 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। इसके अतिरिक्त इस फण्ड हेतु शहरी स्थानीय निकाय अपने स्वयं के संसाधनों से

http://www.finance.rajasthan.gov.in

अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके 250 करोड़ रुपये उपलब्ध करायेंगे।

191. भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों एवं राजस्थान आवासन मंडल की जमीनों के विक्रय से प्राप्त राशि में से 15 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अनिवार्य रूप से हस्तांतरित हो।

192. शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, सभापति, महापौर पद के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से करवाये गये, जिसका प्रदेशवासियों ने भी स्वागत किया है। नगर निकायों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका अधिनियम 2009 में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

193. ''**नगरीय विकास कर**'' को सरल एवं तार्किक बनाने हेतु भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर यह कर अधिरोपित करना तथा सेल्फ–असेसमेंट प्रणाली के माध्यम से कर अदायगी की सुविधा देना प्रस्तावित है। इससे करदाता को सुविधा होगी और नगर निकायों के संसाधनों में भी वृद्धि होगी।

194. केंद्र सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों की समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से ''**राजीव आवास योजना**'' प्रारंभ की गई है। हमनें कच्ची बस्तियों का पुनः सर्वे करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए

http://www.finance.rajasthan.gov.in

15 अगस्त 2009 की कट ऑफ डेट रखी गई है। सर्वे के पश्चात् चिन्हित परिवारों को ''**राजीव आवास योजना**'' के अंतर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

195. केंद्र सरकार द्वारा ''**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**'' के अंतर्गत चंबल नदी को स्वच्छ रखने हेतु कोटा शहर के लिए 149 करोड़ 59 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 44 करोड़ 88 लाख रुपये राज्य का हिस्सा है। यह परियोजना आगामी 3 वर्षों में क्रियान्वित की जायेगी।

196. गृह मंत्रालय द्वारा राज्य को शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए 17 करोड़ 8 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे तथा 4 करोड़ 27 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा अपने अंशदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी दो वर्षों में फायर टेंडर तथा अन्य उपकरण क्रय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जयपुर एवं जोधपुर हेतु ''**एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म**'' की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन सेवायें उपलब्ध करवाई जा सकें।

197. गत् दिनों सदन में प्रश्नकाल की चर्चा के दौरान नगरीय विकास विभाग की मध्यम एवं अल्प आय वर्ग आवास योजना के अंतर्गत मूल ऋण राशि से अधिक ब्याज वसूलने का मुद्दा उठाया गया था। मेरे द्वारा सदन में कहा गया था कि ब्याज, मूल से अधिक नहीं होगा, अब मैं घोषणा करता हूँ कि 31 मार्च 2011 तक बकाया ऋण चुकाने पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जायेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

198. राज्य के शहरों एवं कस्बों में रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज की कई स्थानों से निरंतर मांग की जा रही है। अतः इनका सर्वे कराने के पश्चात्, चरणबद्ध रूप से, रेलवे के सहयोग से ऐसे ब्रिज निर्मित किये जायेंगे।

पर्यटन :

199. पर्यटन हेतु वर्ष 2010–11 में योजनामद में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बिचून–जयपुर, बस्सी–चित्तौड़गढ़, भूरी पहाड़ी–सवाईमाधोपुर, अलसीसर–झुंझुनू और झालों का गुढ़ा–उदयपुर गाँवों में 50–50 लाख रुपये की लागत के कार्य करवाये जायेंगे।

200. राज्य में ''**एडवेंचर ट्यूरिज्म**'' को बढ़ावा दिया जायेगा जिसके अंतर्गत डेजर्ट सफारी, अंतरराष्ट्रीय पतंग एवं बैलून महोत्सव आयोजित किये जायेंगे।

201. घाट–की–गूणी व आमेर के किले को सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित किया जायेगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के पर्यटन के प्रचार–प्रसार हेतु 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

202. जैतसर तालाब, बूंदी के अनुपम सौंदर्य को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

कला एवं संस्कृति :

203. कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकारों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं को आगामी वर्ष एक करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

देवस्थान :

204. जस्टि्स चौपड़ा आयोग की अंतरिम सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मेलों व उत्सवों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं उन्हें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु मंदिर निधि से गोगामेड़ी में 75 लाख रुपये, चारभुजा गढ़बोर में 25 लाख रुपये एवं अन्य सभी मंदिरों में 1 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

205. मंदिरों के कुशल प्रबंधन व लोक प्रन्यासों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु देवस्थान विभाग का पुनर्गठन व सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त देवस्थान विभाग के उदयपुर स्थित आयुक्त कार्यालय के नये भवन के निर्माण हेतु मंदिर निधि से 1 करोड़ 50 लाख रुपये ख़र्च किये जायेंगे।

206. राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत निधि कार्मिकों के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर इन्हें राज्य कर्मचारियों के समकक्ष वेतन का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु मंदिर निधि से आगामी वर्ष 2 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

207. राज्य में विभिन्न धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर मेले आयोजित किये जाते रहे हैं, जिनमें लाखों की संख्या में आमजन एवं श्रद्धालु भाग लेते हैं। गत् समय में मेहरानगढ़, जोधपुर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में घटी दुर्घटनाओं की माननीय सदस्यों को जानकारी है, जिनमें काफी संख्या में लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी। अतः ऐसे आयोजनों एवं मेलों की सुचारू व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में ''**मेला ऑथरिटी**'' का गठन करना प्रस्तावित है।

गृह :

208. जयपुर तथा जोधपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने की दृष्टि से ''**पुलिस कमिश्नर प्रणाली**'' लागू की जायेगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिये जायेंगे।

209. गत् वर्ष कोटा में हैंगिंग ब्रिज के गिरने, जयपुर में आईओसी गोदाम में हुए अग्निकांड एवं मंडोर एक्सप्रेस के रेल पटरी से उतरने के कारण कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी, जिसका हम सभी को बहुत दुख है। इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए आर.ए.सी. के सहयोग से स्टेट डिज़ास्टर रेस्पोंस फोर्स गठित की जायेगी, जिसमें 25 प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों को शामिल किया जायेगा एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी। इस दल का मुख्यालय कोटा रखा जायेगा तथा यह व्यवस्था की जायेगी कि जहां भी इनकी जरूरत पड़े वहां इनको तुरंत भेजा जा सके।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

210. आगामी वर्ष कॉन्स्टेबलों की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले लगभग 2 हजार 300 पदों पर भर्ती की जायेगी।

211. राज्य में सभी जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना करने की योजना है। वर्तमान में 19 पुलिस जिलों में महिला पुलिस थाने नहीं हैं, जिनमें चरणबद्ध रूप से थाने खोले जायेंगे। आगामी वर्ष में चूरू, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, नागौर एवं जोधपुर ग्रामीण में 5 नये महिला पुलिस थाने खोलना प्रस्तावित है।

212. जयपुर विकास प्राधिकरण में आगामी वर्ष 1 विशेष थाना स्थापित किया जायेगा ताकि प्राधिकरण के क्षेत्र में ज़मीनों से संबंधित विवादों एवं अन्य अभियोगों पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष नीमराना–अलवर, नागणा–बाड़मेर, सूडसर–बीकानेर में नये थाने खोले जायेंगे तथा भिवाड़ी फेज़ तृतीय एवं भीमगंज–भीलवाड़ा की पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

213. एन्टी टेररिस्ट स्क्वाड, इमरजेंसी रेस्पोंस टीम, एन्टी सबोटाज चैक और बम डिस्पोजल स्क्वाड में कार्यरत कर्मियों का कार्य जोखिम भरा होने के कारण इनके लिए विशेष बीमा किया जायेगा, जिसकी प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

214. पुलिस विभाग में कार्यरत सहायक उप–निरीक्षकों एवं निरीक्षकों को कॉमन यूज़र ग्रुप के अंतर्गत मोबाईल फोन के खर्चे के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

215. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की एक बटालियन स्थापित करना मैं प्रस्तावित करता हूँ।

216. राज्य में जेल सुधार हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जेलों में सुधार किये जायेंगे। जिला कारागृह झालावाड़ के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए आगामी वर्ष 1 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार जिला कारागृह भवन करौली में जल आपूर्ति एवं अन्य कार्यों हेतु 1 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

217. आगामी वर्ष प्रहरियों के 300 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

न्याय प्रशासनः

218. जोधपुर में माननीय उच्च न्यायालय एवं ज्यूडिशियल अकादमी के नये भवनों के निर्माण हेतु आगामी वर्ष क्रमशः 20 करोड़ रुपये एवं 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

219. मकान मालिक व किरायेदारों के हितों का ध्यान रखते हुए हमारे पूर्व शासनकाल में किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 पारित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि आगामी वर्ष जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर में स्वतंत्र रेंट ट्रिब्युनल एवं अपीलीय रेंट ट्रिब्युनल की स्थापना की जाये।

220. पारिवारिक कानून के अंतर्गत मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए आगामी वर्ष 7 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जायेगी।

राजस्वः

221. पिछले बजट में मैंने उपनिवेशन क्षेत्र के कृषकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशन क्षेत्र में दिनांक 31 दिसंबर 2009 तक बकाया किश्तों के एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज की छूट दी थी। इस सुविधा के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए तथा कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं दिनांक 31 दिसंबर 2010 तक बकाया किश्तें एकमुश्त चुकाने पर ब्याज माफी की घोषणा एक बार और करता हूँ।

222. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 800 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। आगामी वर्ष से इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 1 हजार 200 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। इससे लगभग 7 हजार 500 पूर्व सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की विधवाओं को लाभ मिलेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

223. राजस्व अधिकारियों के कार्यालय भवन काफी पुराने एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं तथा अनेक राजस्व अधिकारियों के पास राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं हैं। आगामी वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें से 15 करोड़ रुपये भवनों की मरम्मत एवं रख–रखाव पर तथा 10 करोड़ रुपये वाहनों के क्रय पर ख़र्च किये जायेंगे।

224. अलवर में पुराने कलेक्ट्रेट को स्थानान्तरित कर नये मिनि सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित है। पुराने परिसर में 19 विभागों के कार्यालय संचालित होंगे जो अभी किराये के भवनों में चल रहे हैं।

225. सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि के विक्रय के पंजीकरण में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में भूमि के विक्रय के दस्तावेज़ों के पंजीयन के समय, दस्तावेज़ों को निष्पादित करने वाले दोनों पक्षों की उपस्थिति उप–पंजीयक के समक्ष अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पंजीयन अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

226. कानूनी प्रावधानों के विपरीत दस्तावेज़ों के पंजीयन को रोकने के लिए एक स्पष्ट लोकनीति परिभाषित करना अनिवार्य है। अतः पंजीयन अधिनियम में तद्नुसार संशोधन किया जायेगा, ताकि लोकनीति के विरुद्ध पंजीयन पर रोक लगाई जा सके। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाहर के लोगों द्वारा भूमि के क्रय अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की कृषि भूमियों की अन्य जाति के लोगों के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री को रोकने आदि की अधिकारिता प्राप्त होगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

सामान्य प्रशासन :

227. राज्य सरकार के स्वामित्व की लगभग 11 हजार संपत्तियां हैं, जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नजूल संपत्ति निस्तारण नियम 1971 के तहत इन संपत्तियों का निस्तारण करने का निर्णय लिया है। निस्तारण से जो राशि प्राप्त होगी, उसमें से प्रशासनिक ख़र्च कम करते हुए, शुद्ध राजस्व का 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित स्थानीय निकायों एवं पंचायत समितियों को, उनके अधीनस्थ क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

स्वतंत्रता सैनानी :

228. देश की आजादी में स्वतंत्रता सैनानियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए इनकी पेंशन 8 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करता हूँ।

पत्रकार कल्याण :

229. पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर के समान ही अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में योजना बनाकर प्राथमिकता से रियायती दरों पर भूखंड अथवा मकान आवंटित किये जायेंगे।

230. साप्ताहिक, पाक्षिक सहित सभी समाचार पत्रों की सरकारी विज्ञापनों की दरों में पिछला संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

अतः हमनें निर्णय लिया है कि इन दरों की समीक्षा कर इनका पुनः निर्धारण किया जाये।

कर्मचारी कल्याण :

231. राज्य सरकार द्वारा वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निराकरण समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य लगभग समाप्ति पर है और इस माह के अंत तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार विचार कर आवश्यक निर्णय लेगी।

232. शासन सचिवालय में मनोरंजन हॉल, पुस्तकालय भवन एवं नये स्टोर का निर्माण कार्य कराने की योजना है। इन कार्यों पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

कर प्रस्ताव

233. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2009–10 की शुरूआत में वैश्विक मंदी का असर अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में देखने को मिला। अपर्याप्त मानसून ने आर्थिक कठिनाईयों को और अधिक बढ़ा दिया। परन्तु केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों और राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण हमने विश्वव्यापी मंदी के दौर का मजबूती से सामना किया है। इसी के कारण मंदी का सबसे कम असर हमारे देश में महसूस हुआ है। मंदी होते हुए भी वाणिज्यिक कर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के 11 माह में गत वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत कर राजस्व अधिक अर्जित किया है जो तुलनात्मक रूप से देश के अधिकांश राज्यों से अधिक है। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं वर्ष 2010–11 के कर प्रस्तावों को आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

234. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने संपूर्ण देश में वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** लागू करना प्रस्तावित किया है। जीएसटी 1 अप्रेल, 2011 से लागू होने की उम्मीद है। इस व्यवस्था से एक सरलीकृत और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू हो सकेगी, जिससे उद्योग–व्यापार एवं आम उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी। इसे लागू करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी में विचार–विमर्श हो रहा है। राज्य के उद्योग–व्यापार के प्रतिनिधि अपना पक्ष इसके प्रभावी

http://www.finance.rajasthan.gov.in

implementation में रख सकें, इस हेतु मैं उद्योग मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाना प्रस्तावित करता हूँ।

235. बजट के कर प्रस्तावों में उद्योग–व्यापार, किसान तथा समाज के सभी वर्गों की पूरी भागीदारी हो, इस दृष्टि से मैंने राज्य के बजट के सभी **stake holders** से गहन विचार–विमर्श किया है। इनसे प्राप्त सभी सुझावों का भली–भांति अध्ययन करने के बाद मैंने अपने कर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है। गत वर्ष के बजट में मैंने राज्य के उद्योग एवं व्यापारी वर्ग के साथ व्यवहार में विश्वास से शुरूआत करने की सोच प्रकट की थी एवं इसी के अनुरूप **revenue collection** की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने हेतु अनेक निर्णय लिये थे। इस दिशा में अब और आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों में कम से कम जाना पड़े और उन्हें सम्मानपूर्वक कर जमा कराने में कोई परेशानी न हों।

प्रक्रिया का सरलीकरण :

236. व्यापार–उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए तिमाही रिटर्न का व्यापक सरलीकरण किया जा रहा है तथा इसके साथ जमा कराये जाने वाले 9 में से 6 दस्तावेजों को हटाया जाना प्रस्तावित है। अब तिमाही रिटर्न के साथ केवल चालान एवं दो अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

237. ऐसे व्यापारी, जो ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं अथवा कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प लेते हैं, उन्हें वर्तमान में वार्षिक रिटर्न वैट–10ए एवं वैट–11 दोनों जमा कराने होते हैं। अब ऐसे व्यापारियों को वैट–10ए, जो बहुत विस्तृत है, को जमा कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे लगभग 70 हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी।

238. मैंने गत बजट में राज्य के बाहर से आयात किये जाने वाले सभी कर योग्य माल के स्थान पर मात्र 38 प्रकार की वस्तुओं के लिए फार्म वैट–47 की अनिवार्यता रखी थी। मैं इनमें से अब 8 और वस्तुओं–गुड़, माचिस, सीमेण्ट से बने सभी सामान, पटाखे, अखाद्य तेल, बिनोला, फोटोग्राफी का सामान, ओडियो और विडियो कैसेट्स–को इस दायरे से बाहर करना प्रस्तावित कर रहा हूँ।

239. वर्तमान में 5 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवहारी के लिए वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन अनिवार्य है। इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 11000 व्यापारियों को पंजीयन दायित्व से मुक्ति मिलेगी।

240. व्यापारियों की अपीलों का निस्तारण त्वरित गति से हो, इस दृष्टि से पिछले वर्ष मैंने एक वर्ष से अधिक की सभी पुरानी अपीलों का निस्तारण 31 मार्च 2010 तक करने का निर्णय लिया था। अब इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि भविष्य में

http://www.finance.rajasthan.gov.in

व्यवहारी द्वारा दायर प्रथम अपील का निर्णय एक वर्ष की अवधि में अनिवार्यतः कर दिया जायेगा।

241. उद्योग–व्यापार एवं कर सलाहकारों की सर्वसम्मत मांग को स्वीकार करते हुए मैं ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 31 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 जनवरी किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

242. सैल्फ असैसमेंट व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि तिमाही रिटर्न के जमा कराने में एक–दो दिन की देरी होने पर भी व्यापारियों को सैल्फ असैसमेंट से बाहर कर दिया जाता है। सैल्फ असैसमेंट का अधिक से अधिक व्यापारियों को लाभ मिल सके, अतः मैं प्रस्तावित करता हूँ कि तिमाही रिटर्न जमा कराने में देरी होने के बावजूद व्यापारी द्वारा वार्षिक रिटर्न अथवा ऑडिट रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने पर उसे सैल्फ असैसमेंट के लिए पात्र माना जायेगा।

243. वर्तमान में सभी व्यापारियों को तिमाही और वार्षिक, दोनों रिटर्न देने आवश्यक है। छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से मैं प्रस्तावित करता हूँ कि वे व्यापारी, जिनका गत वर्ष में वार्षिक कर दायित्व 20 हजार रुपये या इससे कम था। अब उन्हें तिमाही रिटर्न नहीं भरनी होंगी और केवल वार्षिक रिटर्न ही जमा करानी होगी। इससे लगभग 20000 व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

244. उद्योग व्यापार जगत की एक प्रमुख समस्या यह है कि उन्हें **Input Tax Credit (ITC)** रिफण्ड तब तक नहीं मिलता, जब तक जमा हुए कर का सत्यापन विभाग द्वारा नहीं कर लिया जाता। इससे उनकी कार्यशील पूंजी **(working capital)** ब्लॉक हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि व्यापारी द्वारा बैंक गारंटी उपलब्ध कराने पर प्रोविजनल भुगतान तुरंत कर दिया जायेगा।

245. विभाग एवं व्यापारी के बीच में विश्वास की परम्परा कायम रहे, इसके लिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि ई–रिटर्न फाईल करने वाले व्यापारी, जिन्होंने गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत कर अधिक जमा कराया है, उन्हें पिछले वर्ष में दिये गये **ITC** रिफण्ड की 50 प्रतिशत तक राशि प्रोविजनल रिफण्ड के रूप में दे दी जायेगी।

246. **ITC** के सत्यापन किये जाने में विभाग को समय लगता है और मांग कायम कर दी जाती है। व्यापारी को ऐसी मांग की वसूली का भय न रहे, अतः ऐसी मांग की वसूली को सत्यापन नहीं होने तक स्थगित रखा जाना प्रस्तावित है। इससे सभी व्यापारियों को राहत मिलेगी।

247. व्यापारियों से रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। रिफण्ड के लिए उन्हें कार्यालय में न आना पड़े, अतः यह व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है कि जिन व्यापारियों के खाते कम्प्यूटरीकृत **(CBS)** बैंक ब्रांच में हैं, उनका रिफण्ड सीधे ही उनके खाते में जमा करा दिया जायेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

मुझे विश्वास है कि उक्त प्रस्तावों से व्यापारियों की **ITC** संबंधित अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जायेंगी।

248. वर्तमान में व्यापारी को प्रथम अपील करने से पहले पैनल्टी, ब्याज एवं अतिरिक्त टैक्स की 10 प्रतिशत तक राशि जमा करानी पड़ती है। मैं प्रस्तावित करता हूँ कि ऐसे प्रकरणों में व्यापारी को अब केवल विवादित कर राशि का 10 प्रतिशत तक जमा कराना होगा।

249. वैट के प्रथम वर्ष 2006–07 में कई तकनीकी कारणों से तथा जानकारी के अभाव में व्यापारियों द्वारा समय पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप लगाई गयी पैनल्टी को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

250. उद्योग–व्यापार जगत को सरकारी विभाग, उपक्रम एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान देरी से होने के कारण व्यापारी को देय वैट अपने पास से जमा कराना पड़ता है, जिससे उसकी कार्यशील पूंजी **(working capital)** ब्लॉक हो जाती है। इस समस्या के निराकरण हेतु अब माल खरीदने वाले सरकारी विभाग, उपक्रम आदि वैट सीधे ही राजकोष में जमा करायेंगे।

251. **IT** का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिये हम सबको निरन्तर प्रयासरत होना आवश्यक है। इस क्रम में सर्वप्रथम वाणिज्यिक कर

http://www.finance.rajasthan.gov.in

विभाग की वैबसाईट के सर्वर की क्षमता को 4 गुना किया जाना प्रस्तावित है।

252. वर्तमान में रिटर्न कार्यालय में देने अथवा ई–रिटर्न फाईल करने की अंतिम तिथि एक ही है। ई–रिटर्न फाईल करने वाले व्यापारियों को 15 दिन अधिक दिया जाना प्रस्तावित है।

253. डिजीटल हस्ताक्षर **(Digital signature)** वाले रिटर्न एवं समस्त दस्तावेज ई–फाईल करने वाले व्यापारियों के लिए इनकी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

254. रिटर्न को ई–फाईल करने की अनिवार्यता को अब 10 लाख रुपये की बजाय 5 लाख रुपये या इससे अधिक वार्षिक कर **(Tax)** देने वाले व्यापारियों के लिए लागू किया जा रहा है जिससे कि व्यापारियों को रिफण्ड जल्दी मिल सके।

कर की दरों में राहत :

255. महंगाई को देखते हुए जनहित में सभी प्रकार की दलहनों पर कर दर आगामी वित्तीय वर्ष में भी 1 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है।

256. राज्य में पेयजल संकट एक स्थायी समस्या है। गर्मियों में टैंकरों द्वारा पानी का परिवहन आम आदमी की जरूरत बन गई है। अतः मैं

http://www.finance.rajasthan.gov.in

प्रस्तावित करता हूँ कि पानी सप्लाई करने वाले वाटर टैंकर्स पर वैट 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा।

257. राज्य में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैट्री संचालित मोटर वाहनों को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

258. गैर–पारम्परिक ऊर्जा **(non-conventional energy)** को प्रोत्साहित करने के लिए सौर ऊर्जा उपकरणों **(solar power equipments)** को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

259. सीएफएल बल्ब के उपयोग से 75 प्रतिशत तक बिजली की बचत होती हैं। अतः मैं आपसे सीएफएल बल्ब का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान करता हूँ और इस क्रम में सीएफएल बल्ब पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

260. मार्बल अभी 4 प्रतिशत से कर योग्य है जबकि मार्बल के टुकड़ों से बने उत्पाद चिप्स, करेजी एवं पाऊडर पर देय कर 14 प्रतिशत है। अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

261. कोटा स्टोन राज्य का एक मुख्य उद्योग है। इस व्यवसाय में वैट व्यवस्था को युक्तिसंगत करने के लिए रफ कोटा स्टोन पर वजन आधारित टैक्स को समाप्त कर मूल्य आधारित 5 प्रतिशत वैट लगाया जाना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

262. हैण्डीक्राफ्ट में काम आने वाली सफेदा एवं अडूसा लकड़ी की कर दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

263. दो हॉर्स पावर से अधिक पावर की आटा चक्कियों पर वैट 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आटा चक्की के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

264. तीन सितारा से कम स्तर एवं अवर्गीकृत होटल एवं रेस्टोरेंट्स के लिए भोजन पर टैक्स दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इस राहत से मध्यम वर्ग के पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

265. जो शिक्षण संस्थाएं अपने छात्रों को मैस सुविधा 1500 रुपये प्रतिमाह से कम में उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।

266. मेहंदी के पत्ते तथा इसका पाऊडर राज्य में कर मुक्त हैं। अब मेहंदी के कोन को भी कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित हैं।

267. राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से **Beehive, Bee-colony, Bee-box** को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

268. रूद्राक्ष को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

269. टैक्सटाईल सैक्टर में भीलवाड़ा का देश में प्रमुख स्थान है। इस क्षेत्र में कुछ तकनीकी कारणों से वर्ष 1999 से 2004 के बीच एक ही

http://www.finance.rajasthan.gov.in

कपड़े पर दो बार प्रवेश कर की मांग कायम कर दी गई। व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से इस प्रकार दूसरी बार कायम की गई मांग को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

270. यह प्रस्तावित है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट **(works contract)** के ठेकेदार निर्धारित लेट फीस देकर एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष में कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प दे सकेंगे।

271. वर्क कॉन्ट्रैक्ट **(works contract)** में यदि मैटेरियल की कीमत 5 प्रतिशत से कम हो तो ऐसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पोजिशन स्कीम में 0.25 प्रतिशत का स्लैब प्रस्तावित है।

272. सिनेमा की रील पर लिये जा रहे वैट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

273. आम आदमी को सस्ता मनोरंजन सुलभ कराने की दृष्टि से मैं प्रस्तावित करता हूँ कि वे सभी सिनेमा हॉल, जिनके सभी श्रेणियों के टिकिट 50 रुपये अथवा उससे कम के हों, को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया जायेगा। यह सुविधा केवल **"U"** सर्टिफिकेट फिल्म के प्रदर्शन पर ही लागू होगी।

274. वर्तमान में जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले शपथपत्र **(Affidavit)** पर 10 रुपये स्टाम्प

http://www.finance.rajasthan.gov.in

ड्यूटी देय है। मैं प्रस्तावित करता हूँ कि इस प्रयोजन के शपथपत्रों को स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतः मुक्त किया जायेगा। अब विद्यार्थी एवं आम आदमी, साधारण पाई पेपर पर ये शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

275. ऋण लेने पर ऋणी द्वारा टाईटल डीड बैंक में जमा कराई जाती है अथवा रहन रखी जाती है। कृषि ऋणों पर ऐसे दस्तावेज पहले से ही पंजीयन शुल्क से मुक्त हैं। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गैर–कृषि ऋणों के उक्त दस्तावेजों पर वर्तमान में देय पंजीयन शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत (अधिकतम 25 हजार रुपये) किया जायेगा।

276. फैमिली सैटलमेंट के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दर 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे परिवार में आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा एवं भविष्य में संभावित कानूनी विवाद भी कम होंगे।

277. महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए समस्त प्रकार के महिला स्वयं सहायता समूहों के भीतर, सदस्यों द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से किये गये परस्पर निष्पादित दस्तावेज **(inter-se agreement)** को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

278. वर्तमान में कैप्टिव पावर प्लाण्ट के अलावा 125 मेगावाट एवं इससे अधिक क्षमता के पावर प्लाण्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के दस्तावेज मुद्रांक शुल्क से मुक्त हैं। निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के

http://www.finance.rajasthan.gov.in

लिए कैप्टिव पावर प्लाण्ट सहित समस्त पावर प्लाण्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण एवं क्रय दोनों के दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

279. **Irrevocable** पावर ऑफ अर्टानी के दस्तावेज का पंजीयन पहले से ही अनिवार्य है। अब **revocable** पावर ऑफ अटार्नी को भी अनिवार्यतः पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए पंजीयन अधिनियम में नियत प्रक्रिया से संशोधन किया जायेगा। इसके उपरान्त **revocable** पावर ऑफ अटार्नी के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत से घटाकर 0.2 प्रतिशत कर दी जायेगी।

280. मकराना का संगमरमर हमारे राज्य व देश के लिए विशेष महत्व रखता है। मकराना संगमरमर के वैज्ञानिक एवं दीर्घकालीन दोहन के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मकराना मार्बल पर वर्तमान में रॉयल्टी दर 325 रुपये प्रति टन को घटाकर 300 रुपये प्रति टन किया जाना प्रस्तावित है।

281. संगमरमर खान धारकों को रियायत देने की दृष्टि से मार्बल स्लरी/पाऊडर को रॉयल्टी, जो वर्तमान में 60 रुपये प्रति टन है, से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कर दर संबंधी प्रस्ताव :

282. अध्यक्ष महोदय, बजट के प्रथम भाग में मैंने राज्य के विकास एवं जनकल्याण के लिए कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित की

http://www.finance.rajasthan.gov.in

हैं। राज्य के आधारभूत ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। इसके लिए विद्युत उत्पादन, सड़क निर्माण, आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी धनराशि का निवेश किया जाना अपेक्षित है। आप सभी जानते हैं कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी राज्य को अपना हिस्सा देना होता है जिसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है। यह भी सर्वविदित है कि राज्य को अकाल की विभीषिका एवं पेयजल संकट का सामना करने के लिए भी वृहद धनराशि की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त राजस्व को जुटाने के लिए मैं निम्न प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय सदन एवं प्रदेश की आम जनता इनका समर्थन करेगी।

283. ऑल इण्डिया परमिट वाले बन्द यात्री वाहनों पर आरोपित कर की अधिकतम सीमा, जो वर्तमान में 25000/– प्रतिमाह है, को बढ़ाकर 35000/– किया जाना प्रस्तावित है।

284. विशिष्ट श्रेणी के गैर–परिवहन यान, जिन पर आरोपित एक बारीय कर की वर्तमान दर वाहन/चैसिस लागत का 6 से 10 प्रतिशत है, पर कर की अधिकतम सीमा राशि के प्रतिबंध को हटाया जाना प्रस्तावित है।

285. ऐसे दुपहिया वाहन, जिनकी इंजन केपेसिटी 100 सीसी तक है जिनका उपयोग प्रायः मध्यमवर्गीय परिवार एवं आम जनता, विशेषकर

http://www.finance.rajasthan.gov.in

ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों एवं युवा वर्ग द्वारा किया जाता है, पर एकबारीय कर, वाहन लागत का 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 70 प्रतिशत दुपहिया वाहन खरीदने वालों को कर में राहत मिलेगी। 100 सीसी से अधिक इंजन कैपेसिटी के दुपहिया वाहन, जो आम तौर पर सम्पन्न श्रेणी के लोग खरीदते हैं, पर एक बारीय कर 6–7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

286. चार पहिया वाहनों पर आरोपित एकबारीय कर के सरलीकरण के लिए वर्तमान में प्रचलित 6 स्लैब के स्थान पर 4 स्लैब किये जाने प्रस्तावित है। जहां आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से 2.5 लाख रुपये तक की लागत के वाहनो पर एकबारीय कर की दर को वाहन की लागत के 4 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। वहीं तीन **higher slabs** 2.5–6.00 लाख पर 5 प्रतिशत, 6–10 लाख पर 8 प्रतिशत एवं 10 लाख रुपये से अधिक पर 10 प्रतिशत एक बारीय कर किया जाना प्रस्तावित है।

287. माननीय सदस्यों को विदित है कि नगरीय निकाय गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही हैं और उनके पास नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित मेयर/अध्यक्ष व पार्षदों को शहरी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस चुनौती का सामना करना होगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

हालांकि केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों एवं नवगठित अरबन डवलपमेंट फण्ड के जरिये हमने नगर निकायों को काफी धनराशि उपलब्ध कराई है परन्तु फिर भी इस दिशा में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

288. नगरीय निकायों को बुनियादी सुविधाओं के लिए स्थायी तौर पर राजस्व मिलता रहे, इसके लिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि प्रति माह 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट उपकर लगाया जायेगा। इस उपकर से प्राप्त होने वाले राजस्व को एक विशिष्ट कोष में जमा किया जायेगा, जिसका उपयोग नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण व सार्वजनिक रोशनी, सफाई, सीवरेज, सड़कों की मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए किया जायेगा।

289. नगरीय निकायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उनके द्वारा दूरसंचार मोबाईल टावर्स का अनिवार्यतः पंजीकरण किया जाना एवं पंजीकरण राशि के साथ–साथ वार्षिक यूजर चार्जेज प्रभारित किया जाना प्रस्तावित है।

290. 50 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर कम्पोजिशन योजना अपनाने वाले व्यापारियों के लिए वर्तमान कर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

291. सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा वैट अन्तर्गत **Lower Tax Rate** 5 प्रतिशत रखने की अभिशंषा की गई है। अन्य कई राज्यों में भी यह दर 5 प्रतिशत कर दी गई है। अतः हमारे राज्य में भी इस **Tax Rate** को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

292. कतिपय वस्तुओं यथा कोलतार, बिटुमैन, लाईमस्टोन, जैनरेटर एवं इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल बॉडी, पी.बी.एक्स., इलैक्ट्रोड्स, ब्राण्डेड रेडीमेड गारमेण्ट्स, मल्टीफंक्शनल डिवाईसेज, यू–फोम, कुछ कैमिकल्स एवं हाई वोल्टेज केबल्स को वैट अधिनियम की अनुसूची–**IV** से हटाया जाना प्रस्तावित है।

293. कॉटन सीड ऑयल केक एवं सब्बल **(Crowbar)** को कर मुक्ति से हटाकर 5 प्रतिशत कर योग्य किया जाना प्रस्तावित है।

294. उपरोक्त कर राहत व अतिरिक्त राजस्व प्रस्तावों से वर्ष 2010–11 में राज्य को अनुमानतः 550 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमान :

295. वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियां	37 हजार 207 करोड़ 13 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	41 हजार 200 करोड़ रुपये
3.	राजस्व घाटा	3 हजार 992 करोड़ 87 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	12 हजार 975 करोड़ 37 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	8 हजार 972 करोड़ 1 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	4 हजार 3 करोड़ 36 लाख रुपये
7.	बजटीय आधिक्य	10 करोड़ 49 लाख रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	9 हजार 900 करोड़ 12 लाख रुपये

वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान :

296. वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियां	42 हजार 463 करोड़ 49 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	43 हजार 561 करोड़ 72 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा	1 हजार 98 करोड़ 23 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	11 हजार 932 करोड़ 56 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	10 हजार 786 करोड़ 8 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	1 हजार 146 करोड़ 48 लाख रुपये
7.	बजटीय आधिक्य	48 करोड़ 25 लाख रुपये
8.	राजकोषीय घाटा	8 हजार 461 करोड़ 10 लाख रुपये

http://www.finance.rajasthan.gov.in

297. आगामी वर्ष का राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.59 प्रतिशत व राजकोषीय घाटा **GSDP** का 3.50 प्रतिशत रहना संभावित है।

298. मैं वर्ष 2010–11 का, वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही मैं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एव प्रकटीकरण विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

299. हमारा यह बजट सुशासन की दृष्टि से सेवाओं के स्तर में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजनों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के कल्याण हेतु, जो योजनाएं संचालित की जायें, उनका पूरा लाभ इन वर्गों तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आशा करता हूँ कि, माननीय सदस्यगणों से हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरा सहयोग मिलेगा।

http://www.finance.rajasthan.gov.in

300. मैं यहां पर महात्मा गांधी का संदेश दोहरा रहा हूँ:–

एक सच्चा सिपाही आगे बढ़ते हुए यह विवाद नहीं करता कि अन्ततोगत्वा सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन उसे दृढ़ विश्वास होता है कि यदि वह अपनी छोटी सी भूमिका को भी विनम्रता से निभा ले, तो वह कैसे भी हो, उस संघर्ष में विजयी होगा। इसी भावना के साथ हम सभी को काम करना चाहिये। हम भविष्य को नहीं जान सकते। लेकिन कम से कम वर्तमान में तो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं।

301. इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

http://www.finance.rajasthan.gov.in